रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1970/माघ 4, 1891

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1970/MAGHA 4, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th January 1970

G.S.R. 156.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 165/69-Central Excises dated the 16th June, 1969, namely:—

In the said notification, for the letters and figures "Rs. 140", the letters and figures "Rs. 145" shall be substituted.

[No. 9/70-C.E.]

K. L. REKHI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1970

सं० का० नि० 156:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना, सं० 165/69-केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "140 रु०" अंक और शब्द के स्थान पर "145 रु०" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 9/70]

कृष्ण लाल रेखी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970